आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक.................................... से.................................... तक

अंचल– कुरडेग जिला– सिमडेगा

वाद संख्या– 04/22-23 वाद का प्रकार–

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
05/07/2022	इस वाद का संधारण बिफल साय, पिता–स्व0 प्रलाद साय, ग्राम– गताडीह के आवेदन के आलोक में किया गया। आवेदक ने दावा किया है कि मौजा–दरीडीह, खाता संख्या–85, प्लॉट संख्या–767, रकबा–1.78 एकड़ भूमि उनके खतियानी रैयत रुपन कवर वल्द बुढ़ा कवर के नाम से दर्ज है। परन्तु बिराज तिर्की, पिता–स्व0 फनुएल तिर्की के द्वारा उनकी भूमि पर अवैध रुप से दखल करते हुए जाली दस्तावेदज तैयार कर भूमि पर अवैध रुप से मकान का निर्माण किया जा रहा है जो गलत है। अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाय। प्रार्थी के आवेदन को न्यायालय स्वीकृत करती है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें तथा उभय पक्षों से भूमि संम्बधी दस्तावेज की मांग करते हुए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ....19/07/2022....को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	
19/07/2022	**अभिलेख उपस्थापित।** नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/~~अप्राप्त~~। उभय पक्ष न्यायालय में ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक ....02/08/2022....को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	
02/08/2022	**अभिलेख उपस्थापित।** नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/~~अप्राप्त~~। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक ....13/09/2022....को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	

13/09/2022

27/12/2022

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि सर्वे खतियान अनुसार मौजा–दरीडीह, खाता संख्या–85, प्लॉट संख्या–767, रकबा–1.78 एकड़ भूमि रुपन कवर वल्द बुढ़ा कवर के नाम से दर्ज है जो आवेदक के वंशज हैं। उन्होने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है प्रतिवादी ने प्रश्नगत्त भूमि को निबंधित रजिस्ट्री पट्टा संख्या–89, दिनांक–30.01.2003 द्वारा मौजा–दरीडीह, खाता संख्या–85, प्लॉट संख्या–767, रकबा–1.78 एकड़ भूमि में से 0.80 एकड़ भूमि खरीदगी के पश्चात दखलकार है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा–दरीडीह, खाता संख्या–85, प्लॉट संख्या–767, रकबा–1.78 एकड़ भूमि पर मामला हक–हकियत का बनता है। इस वाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधीन नहीं है अतः प्रार्थी बिफल साय के आवेदन को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

Digitally signed by KRISHNA MURARI TIRKEY
Date: 2023.02.15 17:15:37 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:186a:32b0:9527:8ff9